

राजशिप/उधेस/फ-3/पीबी-65/2000/3632

दिनांक : 10.06.2000

**भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ**

**आदेश**

डी.ए.एन. कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन, नवाशहर, दोआबा, पंजाब ने मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त 50 सीटों की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 16.3.2000 को आवेदन किया था।

समिति कार्यालय द्वारा सत्र 2000-2001 से अतिरिक्त सीटों की मान्यता पर विना। हेतु संस्था का दिनांक 5 अप्रैल, 2000 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा उप-समिति द्वारा अनुमोदित एजेन्डा नोट की प्रति उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 12-13 अप्रैल, 2000 को सम्पन्न हुई 24 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने प्रकरण पर विचार कर पाया कि संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार कमियाँ हैं अतः संस्था को निम्नलिखित कमियों की सूचना प्रेषित करते हुए उस कमियों के संदर्भ में परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत लिखित अपवादवेदन प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया जाए।

क्रम.	पाई गई कमियाँ
(अ) कार्यरत पाठ्यक्रम में कमी	मानदंडानुसार निर्धारित योग्यता के निम्नित वेतन शृंखला में पूर्ण 100 सीटों पर 10 अध्यापक होने चाहिए। मानदंड के पैर 3 व 3.1 के अनुसार अन्य कक्षाओं की भी कमी है। प्रयोगशालाओं में उपकरण मानदंडों के पैर 3.3 के अनुसार कम हैं।
(ब) अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए कमी	अतिरिक्त सीटों के लिए परिषद् के नार्मस् एण्ड स्टोपडर्स के पैर 2.1, 2.2, 2.3, व 2.5 के अनुसार निर्धारित योग्यता व विषयों के अनुसार नियमानुसार राज्य सरकार/निश्चलविद्यालय/यू.जी.सी. के निर्देशानुसार गठित चयन समिति द्वारा पूर्ण कालिक एवं नियमित वेतन शृंखला में चयनित सीट/व्याख्याताओं की 1:10 के मानदंडों से कमी है। ना ही उस तक नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर सीट/व्याख्याताओं का चयन कर उनसे परिषद् द्वारा मान्यता मिलाने पर कार्यप्रारंभ करने की सहमति प्राप्त की है।

समिति के निर्णयानुसार संस्था को दिनांक 26.4.2000 को नोटिस क्रमांक राजशिप/उधेस/फ-3/पीबी-65/2000/887 जारी किया गया था। संस्था ने उपरोक्त नोटिस का उत्तर अपने पत्र दिनांक 9.5.2000 एवं दिनांक 31.5.2000 के द्वारा प्रेषित किया था। संस्था के लिखित अपवादवेदन एवं संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 जून, 2000 को सम्पन्न हुई 26 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रकरण पर विचार कर पाया कि संस्था के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार पाई गई निम्नलिखित कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया जाए।

क्रम.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1.	संस्था को अतिरिक्त 50 सीटों के लिए मानदंडों के अनुसार 5 प्रवृत्ता चाहिए। परिषद् मानदंडों के पैर 2.2 के

-2

अनुसार निर्धारित योग्यता में मानदंडों के पैरा 5.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुनरीक्षित चेतन शृंखला के साथ 5 प्रवक्तकों की कमी है। संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए 5 प्राध्यापक निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं, न ही पैरा 5.3 के अनुसार चेतन शृंखला देने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त श्रेणीय समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार डी.ए. एन. कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन, नवाशहर, दोआबा, पंजाब द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में पाई गई उपरोक्त कारियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अधिकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीएड पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश न करें। यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके बीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोकवार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी यदि संस्था चाहे तो उक्त आदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के समक्ष अपील कर सकती है। अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। इस आदेश का अंग्रेजी अनुबाव शीघ्र जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से  
(डॉ० एस.एन. मैठी)  
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रधान्यक  
भारत सरकार  
प्रकाशन विभाग  
सिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

- 1) शिक्षा सचिव, पंजाब सरकार, नगरपालिका, चण्डीगढ़
- 2) डी.पी.आई. कॉलेज, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़
- 3) कुल सचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय
- 4) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
- 5) प्राचार्य, डी.ए. एन. कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन, नवाशहर, दोआबा, पंजाब
- 6) कम्प्यूटर फाइल (उभेस)

क्षेत्रीय निदेशक